



2026:AHC:65151

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 9568 वर्ष 2026

सुनील

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : रूपेश कुमार राम, संजय कुमार

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय सं. - 64

माननीय विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान संक्षिप्त धारक श्री अनुपम आनंद को सुना गया।
- बीएनएसएस की धारा 483 के अंतर्गत यह वर्तमान जमानत आवेदन अपराध संख्या 10 वर्ष 2025, बीएनएसएस की धाराओं 331(8), 351(3), 307, थाना टोडी फतेहपुर, जिला झाँसी में विचारण की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और उसे इस वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए सह-अभियुक्त शीतल कुशवाहा द्वारा प्रकट किया गया था। उक्त बयान, जहाँ तक वह आवेदक को फंसाता है, विश्वसनीय नहीं है। सह-अभियुक्त शीतल कुशवाहा को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. 13669 वर्ष 2025 में दिनांक 09.05.2025 को पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदक समता का दावा करता है। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आवेदक का आपराधिक इतिहास शपथपत्र के पैरा 18 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 19.11.2025 से जेल में है और यदि वह जमानत पर रिहा किया जाएगा, तो वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त हैं।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनकर और अभिलेख का परिशीलन कर, यह न्यायालय प्रथमदृष्ट्या यह पाता है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। आवेदक का नाम पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए सह-अभियुक्त शीतल कुशवाहा द्वारा प्रकट किया गया था। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। सह-अभियुक्त शीतल कुशवाहा को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

6. जहाँ तक आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्तों का संबंध है, राज्य का यह मामला नहीं है कि आवेदक जांच को प्रभावित कर सकता है या अन्यथा प्रतिकूल रूप से विचारण से पूर्व या विचारण के दौरान गवाहों को डरा सकता है। राज्य ने कोई ऐसी सामग्री भी नहीं रखी कि आवेदक ने अतीत में कानून की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया हो। इस न्यायालय के मत में यदि अभियुक्त अन्यथा जमानत का हकदार पाया जाता है तो उसे केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता, आपराधिक पूर्ववृत्तों के आधार पर जमानत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकार करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं दिखाई गई हैं, अतः न्यायालय केवल आपराधिक पूर्ववृत्त के आधार पर आवेदक को जमानत से वंचित करना उचित नहीं समझता।

7. **आश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एससीसी 446** में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 30 में अवलोकन किया है:-

"हम यह जोड़ना चाहते हैं कि जब हम कहते हैं कि अभियुक्त एक इतिहास-पत्रक है तो हमें यह नहीं समझा जाए कि एक इतिहास-पत्रक कभी जमानत का हकदार नहीं है। किंतु यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर उस अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे बुक किया गया है।"

8. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों की लंबितता स्वयं में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती।

9. इसके अलावा, आवेदक चार महीने से अधिक समय से बंद है और विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई आशा नहीं है और मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

10. उपरोक्त मामले में संलिप्त आवेदक **सुनील** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो भारी जमानतदारों (आपराधिक इतिहास के दृष्टिगत) के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगा;

(ii) वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(iii) वह अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा; और

(iv) वह प्रत्येक माह के पहले रविवार को संबंधित थाने पर उपस्थित होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

मार्च 28, 2026

एलबीएम/-

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।